

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

पीठासीन अधिकारी :- मनोज, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या :- 110 / 2023

GCMS No. 2023/ 317

प्रार्थी

राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

बनाम

अप्रार्थीगण

8. अर्जुनराम
9. चैनप्रकाश
10. तिलोकाराम पि. कानाराम
11. पन्नीदेवी पत्नि कानाराम
12. भुवानाराम पुत्र हीराराम जाट सा. चारणवास तह.कुचामनसिटी

आदेश

दिनांक :- 19.06.2023

तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक परिशिष्ट-"ए" व मौका पर्चा जिसमे सम्बन्धित खातेदार की सहमति के हस्ताक्षर/अंगूष्ठ निशान सहित एवं अभिशंषा तहसीलदार कुचामनसिटी का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार ग्राम चारणवास पटवार मण्डल चारणवास तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 204 में मौके पर रास्ता चालू है। परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का अंकन नहीं है। सम्बन्धित पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट में मौके पर उक्त रास्ता काफी पुराने समय से चालू बताया है। साथ ही तहसीलदार कुचामनसिटी ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है एवं संबंधित खातेदारो ने सहमति पत्र पर अपनी सहमति प्रदान की है। इस प्रकार यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार कुचामनसिटी को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम चारणवास पटवार मण्डल चारणवास तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 204 में मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में संलग्न नक्शे एवं परिशिष्ट-"ए" व मौका पर्चा में वर्णितानुसार करावें। परिशिष्ट-"ए" व मौका पर्चा नजरी नक्शा आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी पालना कर रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

यह आदेश आज दिनांक 19.06.2023 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।



(मनोज, RAS)

उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी (नागौर)

